संख्या-95/2026/आई/1454532/2026/65-2002(002)/7/2026

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 08 सितम्बर, 2026

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये वित्त विभाग द्वारा राजस्व मद में स्वीकृत प्रथम अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियां।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1774, दिनांक 17 अगस्त, 2026, पत्र संख्या-1776 दिनांक 17 अगस्त, 2026, पत्र संख्या-1777 दिनांक 17 अगस्त, 2026, पत्र संख्या-1778 दिनांक 17 अगस्त, 2026, पत्र संख्या-1794 दिनांक 18 अगस्त, 2026, पत्र संख्या-1831 दिनांक 20 अगस्त, 2026 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-70/2026/आई/1294399/2026/65-2002(002)/7/2026 दिनांक 10.04.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपूरक मांग प्रस्तावों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235 (राजस्व) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा विभिन्न मदों में स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों के दृष्टिगत कुल धनराशि रू0 33109.84 लाख (रूपये तीन अरब इकतीस करोड़ नौ लाख चौरासी हजार मात्र), अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू0 60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) और अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की स्वीकृतियां निम्नानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-79

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (13 अंकों में)	प्रथम अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृति धनराशि (धनराशि रू0 लाख में)
1	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान (2235 02 101 03 00) 15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	295.84
2	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-07-नेत्रहीन, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को भरण-पोषण हेतु अनुदान (2235 02 101 07 00) 63- सामाजिक पेंशन	30454.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-10-विकलांगों को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति (2235 02 101 10 00) 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	910.00
4	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-20-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना (2235 02 101 20 00) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	300.00
5	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-32-कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान (2235 02 101 32 00) 63-सामाजिक पेंशन	150.00
6	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-03-असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान (2235 02 104 03 00) 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
अनुदान संख्या-79 का योग:-		**33109.84 (रूपये तीन अरब इकतीस करोड़ नौ लाख चौरासी हजार मात्र)**

अनुदान संख्या-81

(धनराशि रू0 लाख में)

ब्यौरेवार शीर्ष	स्वीकृति
1	2
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-05-नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) (2235 02 796 05 00)	
63-सामाजिक पेंशन	60.00
अनुदान संख्या-81 का योग	60.00 (रूपये साठ लाख मात्र)

अनुदान संख्या-83

(धनराशि रू0 लाख में)

ब्यौरेवार शीर्ष	स्वीकृति
1	2
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) (2235 02 789 03 00)	
63-सामाजिक पेंशन	2000.00
अनुदान संख्या -83 का योग	2000.00 (रूपये बीस करोड़ मात्र)

2- शर्तें/प्रतिबन्ध:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(i)उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जायेगें और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(ii) धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii)प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(iv)धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2026/बी-2-164/दस-2026-244/2026 दिनांक 17 अगस्त, 2026 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) मद संख्या-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-03-असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में अंकित धनराशि रू0 1000.00 लाख जो निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी जा रही है, का व्यय शासन से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

(vi)वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) शासनादेश संख्या-70/2026/आई/1294399/2026/65-2002(002)/7/2026 दिनांक 10.04.2026 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2026/बी-2-164/दस-2026-244/2026 दिनांक 17 अगस्त, 2026 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।